श्रीमान् अंचलाधिकारी

कोडरमा अंचल।

विषयः– भूमि निबंधन (रजिस्ट्री) हेतु सत्यापन प्रतिवेदन देने के संबंध में।

महाशय,

सविनय नम्र निवेदन है कि मैं कृष्णा बिहारीलाल S/o- परमेश्वर लाल गुप्ता

ग्राम कोडरमा पो० कोडरमा थाना कोडरमा

जिला कोडरमा का निवासी हूँ मुझे निम्न वर्णित

भूमि का विक्री करना है :–

1. मौजा तिलैया
2. थाना तिलैया
3. थाना नं० 244
4. खाता नं० 60
5. प्लॉट नं० 7371
6. रकवा 6 डी०
7. भूमि का किस्म खेती
8. अद्यतन रसिद नं० 0884310110
9. दा० खारजि वाद संख्या 2727/ 2011-12

अतः श्रीमान् से आग्रह है कि उक्त वर्णित भूमि में निबंधन (रजिस्ट्री) हेतू सत्यापन प्रमाण पत्र देने की कृपा करें इसके लिए मै श्रीमान का सदा अभारी रहूँगा।

विश्वासभाजन

कृष्णा बिहारीलाल

न्यायालय अंचल अधिकारी, कोडरमा

भूमि सत्यापन अभिलेख सं0 388/2022

आवेदक कृष्णा बिहारी लाल पिता परमेश्वर लाल गुप्ता, साकिन–कोडरमा, पोस्ट–कोडरमा, थाना–कोडरमा, जिला–कोडरमा द्वारा निम्न भूमि का सत्यापन हेतु आवेदन दिया गया है:–

6.12.22

मौजा	थाना नं0	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकवा	किस्म
तिलैया	244	60	7371	06 डी0	रैयती

अतः मूल आवेदन पत्र हल्का राजस्व उप निरीक्षक को हस्तगत कराए एवं जाँच प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त करें। साथ ही आम इस्तहार निर्गत करे।

अभिलेख दिनांक 24/12/2022 को प्रस्तुत करें।

16/12/22

अंचल अधिकारी,
कोडरमा

24.12.2022
30.12.2022

अभिलेख उपस्थापित।

आम इस्तहार का तामिला प्राप्त। किसी के द्वारा आपत्ति नहीं की गयी है।

हल्का राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जाँचोपरान्त प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा–तिलैया, थाना नं0–244, खाता सं0–60, प्लॉट सं0–7371, रकवा–06 डी0 भूमि कृष्णा बिहारी लाल पिता परमेश्वर लाल गुप्ता के नाम से पंजी–II के पृष्ठ सं0–137 भाग सं0–45 पर ऑनलाइन जमाबन्दी दर्ज है। प्राधिकार क्षेत्र में दा0 खा0 वाद सं0–2727/2011–12 दर्ज है। उक्त भूमि केवाला सं0–1101 दिनांक 02.02.1990 द्वारा प्राप्त है। उक्त भूमि रैयती खाते की है। लगान रसीद वर्ष–2021–22 तक निर्गत है। शपथ पत्र सं0–26 दिनांक–06.12.2022 (नोटरी पब्लिक, कोडरमा) की मूल प्रति संलग्न किया गया है।

अतः राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर प्रतिवेदित किया जाता है कि मौजा–तिलैया, थाना नं0–244, खाता सं0–60, प्लॉट सं0–7371, रकवा–06 डी0 भूमि निबंधन योग्य है। यद्यपि निबंधन के उपरान्त भी Bihar Tenants Holding (Maintenance of Records) Acts 1973 के अन्तर्गत प्राप्त नामांतरण का अधिकार अंचल अधिकारी के न्यायालय का सुरक्षित रखेगा एवं नामान्तरण के पूर्व अगर कोई वैध आपत्ति होती है तो विधि सम्मत निर्णय लेने के लिए अंचल अधिकारी का न्यायालय स्वतंत्र होगा।

30/12/22

अंचल अधिकारी,
कोडरमा।

Digitally signed by ANIL KUMAR
Date: 2023.02.06 16:54:24 +05:30
Location: 192.168.29.246